न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/2018

बनवारी लाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलांट

बनाम

1. अमीलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी 7 एफ बड़ा तहसील व जिला
2. कृष्ण
3. बलराम — पिसरान सोहनलाल
4. रामप्रताप
5. रूपराम

जाति जाट निवासी 7 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

6. सुरेन्द्र पुत्र जगदीश
7. सुधीर पुत्र जगदीश
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसील श्रीगंगानगर ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर 17.01.2017

उपस्थितिः—

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अशोक कुमार सहारण, अभिभाषक संख्या 1

श्री हरीश सोनी अभिभाषक रेस्पो संख्या 2 से 7

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा

4/6/18

251 ए का पेश कर चक 7 एफ बड़ा के मु.न. 43 के कि.न. 1 से 3 में पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 18.10.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.01.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एक पक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधी.न्यायालय ने दिनांक 30.11.2017 को खारिज कर दिया । अपीलाधीन आदेश के द्वारा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले मे डीएलसी की दर से राशि दिलाने के आदेश दिये गये । अधी.न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि न दिलवाकर कानूनी भूल की है। अतः रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलाये जाने के आदेश दिये जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 व 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो संख्या 1 ने अपने बहस में कथन किया कि अपीलांट का कथन है कि राजीनामा के अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलाई जावे किन्तु उक्त राजीनामा को कहीं भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि के बदले में भूमि दिलाने का कोई प्रावधार रा.का.अ. की धारा 251 ए में नहीं है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 30.11.2017 को खारिज हो

4/6/18

चुका है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 आदेश दिनांक 30.11.2017 में समाहित हो चुका है इसलिए यह अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलांट नजरसानी प्रार्थना पत्र के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस अपील के माध्यम से कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 17.01.2017 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 29.12.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 व 14 का प्रार्थना पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 पारित होने पर अपीलार्थी ने अधी.न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 30.11.2017 को खारिज किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 17.01.2017 पारित होने पर, उसके विरूद्ध नजरसानी पेश होने पर, नजरसानी का निर्णय दिनांक 30.11.2017 होने पर अपीलाधीन आदेश नजरसानी प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 में समाहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी नजरसानी में पारित आदेश के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है इस अपील के माध्यम से उसे कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील अधिकारी
(बीकानेर/श्रीगंगानगर)